न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 89/2019

प्रार्थीगण :–

1. मानाराम पुत्र लखाराम
2. सुखाराम पुत्र लखाराम

जाति जाट निवासीगण ढिंगलानगर रावनियाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. अन्नाराम पुत्र पूनाराम
2. भींयाराम पुत्र पूनाराम
3. बुद्धाराम पुत्र पूनाराम
4. कानाराम पुत्र पूनाराम
5. गोमी पुत्री पूनाराम जातियान जाट निवासीयान ढींगलानगर, रावनियाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
6. दलाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी ढींगलानगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ॥
7. मांगीलाल गोद पुत्र गुदड़राम
8. ओमाराम पुत्र दीपाराम
9. धनवाई पत्नि दीपाराम
10. मगरी पुत्री गुदड़राम
11. पपिया पुत्री गुदड़राम
12. चौना पुत्री गुदड़राम
13. उमा पुत्री गुदड़राम
14. भाटिया पुत्री गुदड़राम
15. सेवा पुत्री गुदड़राम
16. गुटकी पत्नि गुदड़राम सभी जातियान जाट निवासीगण ढींगलानगर, रावनियाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ॥
17. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री मधुसुदन चौधरी

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री राजेन्द्र देवड़ा

निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. एक से सोलह ही संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 903 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 904 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर 905 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, व खसरानम्बर 906 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 908 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 909 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरानम्बर 910 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा कुल खसरा 08 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा आयी हुई है । जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जायेंगा । प्रार्थना पत्र के पद सं. एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक से पांच का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. छः का 1/4 वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. सात से सोलह का 1/4 वां हिस्सा है तथा माफिक हक हिस्सानुसार संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काश्त करते आ रहे है । प्रार्थीगण ने अपने 1/4 वां हिस्सा की भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की जिसमें प्रार्थीगण भगाराम पुत्र लखाराम का गलत रूप से 1/24 वां हिस्सा एवं सुखाराम पुत्र लखाराम का गलत रूप से 1/24 वां हिस्सा दर्ज किया हुआ था इस पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से कहा कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/4 वां हिस्सा है जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के गलत रूप से हिस्से दर्ज है इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाना पड़ेगा तब प्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर से सम्वत् 2055 से 2058 तक प्रमाणित प्रति प्राप्त की प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक से पांच का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. छः का 1/4 वां हिस्सा दर्ज है लेकिन इसके पश्चात् की जमाबन्दी तैयार करते समय अप्रार्थी सं. दलाराम पुत्र लुम्बाराम 1/4 वां हिस्सा, दलाराम पुत्र लुम्बाराम 1/4 वां हिस्सा सेवन से त्रुटिवंश दुबारा दर्ज हो गया तथा इसके पश्चात् जमाबन्दी बीघा से हैक्टयर तैयार करते समय प्रार्थीगण के हिस्से गलत रूप से इन्द्राज हो गये इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. सतरह के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती फरमायी जाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से दुरूस्त फरमायी जाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से दुरुस्त फरमाये जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक से पॉच का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. छः का 1/4 वां हिस्सा, व अप्रार्थी सं. सात से सोलह का 1/4 वां हिस्सा अनुसार दुरूस्ती फरमाने हेतु निवेदन किया इस पर अप्रार्थी सं. सतरह ने श्रीमान न्यायालय हाजा से ही रेकर्ड दुरूस्ती हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त अनवान प्रार्थना पत्र वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है । प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक से पांच का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. छः का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. सात से सोलह का 1/4 वां हिस्सा, है तथा इसी अनुसार पक्षकारान भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से सेवन से त्रुटिवंश सम्वत् 2067 से 2077 में अप्रार्थीगण सं. छः का नाम व हिस्से दुबारा गलत रूप से इन्द्राज हो गये तथा तत्पश्चात् बीघा से हैक्टयर में जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थीगण के हक हिस्से त्रुटिवंश गलत रूप से इन्द्राज हो गये जिन्हे दुरूस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक से पांच का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. छः का 1/4 वां हिस्सा, तथा अप्रार्थी सं. सात से सोलह का 1/4 वां हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से

Scanned by CamScanner

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ठिगलानगर पटवार हल्का रावनियाना तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 कुल खसरा 8 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक से पांच का 1/4 वां अप्रार्थी सं. छः का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. सात से सोलह का 1/4 वां हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार हिस्सा दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 16 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ठीगलानगर की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 कुल खसरा 8 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 से 5 का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 1/4 वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. 7 से 16 का 1/4 वां हिस्सा दर्ज किया जाकर दुरूस्त फरमावें। जिसमें हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम ठीगलानगर के खाता सं. 3 में खसरा नम्बर 903 से 910 तक पटवारी का जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित हिस्सा दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण, व जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ठीगलानगर ठीगलानगर की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 कुल खसरा 8 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 से 5 का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 1/4 वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. 7 से 16 का 1/4 वां हिस्सा दर्ज किया जाकर दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरागद करें ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner